सामान्य सूचना F4

मैं कैसे भुगतान करूं यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का?

U.S. Citizenship and Immigration Services

अदि आप यूनाइटिड स्टेट्स में इमिग्रेट कर रहे हैं और एक वैध स्थाई नागरिक के तौर पर प्रवेश होंगे तो आप को $165 की यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान करना ही होगा. इस फ़ीस का भुगतान करने के लिए आप को यूएससीआईएस इलेक्ट्रानिक इमिग्रेशन सिस्टम का प्रयोग करना होगा। यू.एस. से आप को इमिग्रेंट वीज़ा पैकेट प्राप्त होने पर हम पुख्ता रूप से इस फ़ीस **के** भुगतान के लिए आप को प्रोत्साहित करते हैं। आप के द्वारा यूनाइटिड स्टेट्स के लिए प्रस्थान करने से **पहले** विदेशी दूतावास अथवा काउंसलेट बोर्ड (कैनेडा और मैक्सिको शामिल) यूनाइटिड स्टेट्स के लिए प्रस्थान से पहले आपके द्वारा किया गया भुगतान यह सुनिश्चित बनाएगा कि आपको आपका स्थाई नागरिकता कार्ड (सामान्यता जिसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है) बिना किसी विलंब के प्राप्त हो।

यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस कितनी है?

यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस $165 है। यूएससीआईएस इस फ़ीस का प्रयोग आप के यूनाइटिड स्टेट्स में आगमन पर आप के इमिग्रेंट वीज़ा पैकेट के संसाधन के लिए करती है। इस फ़ीस में यूएससीआईएस द्वारा आपका ग्रीन कार्ड तैयार करने की लागत भी शामिल है।

कृपा नोट करें: आपको डिपार्टमेंट आफ़ स्टेट्स (डीओएस) एवं यूएससीआईएस को अलग से फ़ीस का भुगतान करना होगा। आप को अपनी इमिग्रेंट वीज़ा आवेदन फ़ीस डीओएस को व अपनी यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस ($165) यूएससीआईएस देनी होगी।

मैं अपनी यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान कैसे करूं?

1. यू.एस. दूतावास अथवा काऊंसलेट पर अपनी मुलाकात पर पहुंचें।

- यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस कैसे भरनी है इस पर मुफ़्त मिलने वाला दस्तावेज प्राप्त करें। कृपा कर के इस दस्तावेज को अपने अन्य रिकार्ड्स के साथ संभाल कर रखें क्योंकि इस में आप की व्यक्तिगत जानकारी है।
- इस दस्तावेव के शिखर पर आपको मिलेगा:
  - **एलीयन पंजीकरण संख्या** (वर्ण "A" जिस के बाद 8 अथवा 9 नंबर आते हैं। उदाहरण के तौर पर: "**A0123456789**"); एवं
  - **डीओएस केस आईडी** (3 वर्णों के बाद 9 अथवा 10 नंबर) उदाहरण के तौर पर: "**ABC1234567890**")

    कृपा नोट करें: विविध वीज़ा (डीवी) इमिग्रेंट्स के लिए डीओएस केस आईडी के ४ नंबर होंगे जिन के बाद २ वर्ण फ़िर ५ नंबर आएंगे। उदाहरण के तौर पर: "**1234XY12345**."
- अपना सीलबंद वीज़ा पैकेट प्राप्त करें।

2. यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान करें।

- निम्न पर जाएं **www.uscis.gov/uscis-elis** यूएससीआईएस आनलाईन देखने के लिए फ़ाइलिंग स्रोत
- चुनें "**Log in**."
- उस के बाद चुनें "**यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस**."
- यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस दस्तावेज़ के शिखर पर दर्ज अपना **एलीयन पंजीकरण नंबर** व **डीओएस केस आईडी** एंटर करें। यदि आप अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों के लिए भी भुगतान कर रहे हैं तो आप उन के एलीयन पंजीकरण नंबर व डीओएस केस आईडी शामिल कर सकते हैं।
- वैध क्रेडिट कार्ड (वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस अथवा डिसकवर कार्ड), डेबिट कार्ड, अथवा यू.एस. बैंक चेकिंग खाता जानकारी (खाता संख्या एवं बैंक रूटिंग नंबर) उपलब्ध करवाएं।

यदि आप स्वयं यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो आप किसी को चुन सकते हैं जो आपकी फ़ीस का भुगतान कर दे। उदाहरण के तौर पर: कोई पारिवारिक सदस्य, मित्र, नियोक्ता, अटार्नी अथवा अधिकृत प्रतिनिधी।

यूनाइटिड स्टेट्स पहुंचने के पश्चात क्या होता है?

1. यू.एस. प्रवेश पोर्ट पर अपने इमिग्रेंट वीज़ा पैकेट के साथ पहुंचें।

- यू.एस. कस्टम्स एवं बार्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) द्वारा आपका एक वैध नागरिक के तौर पर यूनाइटिड स्टेट्स में प्रवेश हो चुका है।

2. अपना ग्रीन कार्ड प्राप्त करें।(फ़ार्म आई-551)

- यूनाइटिड स्टेट्स में प्रवेश के पश्चात यूएससीआईएस यह पुष्टि करेगी आपने यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान कर दिया है व आप के ग्रीन कार्ड को आपके द्वारा अपनी इमिग्रेंट वीज़ा इंटरवियू के समय डीओएस अथवा आपके यूनाइटिड स्टेट्स में प्रवेश के बाद सीबीसी को दिए गए यू.एस. मेलिंग पते पर ही भेज दिया जाएगा।
- यदि यूएससीआईएस के पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जो बताता हो कि आपने अपनी यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान कर दिया है, तो यूएससीआईएस की ओर से आपको एक निर्देशों वाला नोटिस भेजा जाएगा कि फ़ीस कैसे भरी जाए।
- यदि आपने यूनाइटिड स्टेट्स आने से पहले ही फ़ीस का भुगतान कर दिया है और यू.एस. में प्रवेश होने के 45 दिन पश्चात भी आप को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो कृपा आनलाईन सहायता के लिए निम्न पर संपर्क करें **https://egov.uscis.gov/cris/contactus**.

- यदि आपका कोई प्रशन है या अपने मामले में आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है तो आप अपने स्थानीय कार्यालय में इंफ़ोपास मुलाकात का समय ले सकते हैं। इंफ़ोपास मुलाकात का समय लेने के लिए **https://infopass.uscis.gov** पर जाएं।

यदि मैं यूनाइटिड स्टेट्स पहुंचने के पश्चात यू.एस. में किसी अन्य पते पर चला जाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?

- यूएससीआईएस आपके ग्रीन कार्ड को केवल आपके द्वारा अपनी इमिग्रेंट वीज़ा इंटरवियू के समय डिपार्टमेंट आफ़ स्टेट अथवा आपके यूनाइटिड स्टेट्स में प्रवेश के समय सीबीपी को दिए गए यू.एस. मेलिंग पते पर ही भेजेगी। यदि यूनाइटिड स्टेट्स में प्रवेश के फ़ौरन बाद ही आपका विचार किसी अन्य यू.एस. पते पर रहने का बन जाता है तो कृपा करके वह पता सीबीपी अधिकारी को दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके आपका कार्ड आपके नए घर पर पहुंच जाएगा।
- यदि यूनाइटिड स्टेट्स पहुंचने के पश्चात आप स्थान बदलते हैं तो कृपा कर के यूएससीआईएस पर अपना पता अपडेट करने के लिए **www.uscis.gov/addresschange** पर जाएं अथवा (800) 375-5283 पर नैशनल कस्टमर सर्विस सेंटर में फ़ोन करें। हम आपको अपने स्थानीय पोस्ट आफ़िस जा कर अथवा **www.usps.com/umove** पर आनलाईन अपने पते को अपडेट करने की सलाह भी देते हैं।

यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस भरने के सुझाव

1. **कोई** भी आप के लिए यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान कर सकता है। इस में अटार्नी, अधिकृत प्रतिनिधी, पारिवारिक सदस्य, मित्र एवं नियोक्ता शामिल हैं।
2. **ए-नंबर** यदि आपका एलीयन पंजीकरण नंबर 9 अंकों से कम है तो इसे 9-अंकीय नंबर बनाने के लिए ए के बाद "**A**" एवं प्रथम अंक से पहले एक शून्य लगाएं। उदाहरण के तौर पर: "**A12345678**" निम्नानुसार बन जाएगा "**A012345678**".
3. **फ़ीस भुगतान के समय आपके के कंप्यूटर का संचालन। न करें।** इस से गलती हो सकती है। इस के स्थान पर आगे व पीछे जाने के लिए सिस्टम के नेवीगेशन बटनों का प्रयोग करें।
4. **अपने भुगतान को दर्ज करें।** आप के द्वारा भुगतान की जा रही प्रत्येक यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस के लिए केवल "Submit Payment" बटन पर **एक ही बार** क्लिक करें। यदि आप बटन को एक से अधिक बार दबाएंगे तो हो सकता है आप को कई बार फ़ीस भरनी पड़े।
5. **केवल आनलाईन भुगतान** आप को यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस आनलाईन ही भरनी होगी। यूएससीआईएस डाक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं करती।
6. **अपने रिकार्ड्स के लिए कापी प्रिंट करें।** हमारा सुझाव है कि आप अपने रिकार्ड्स के लिए फ़ीस लेन-देन एवं भुगतान पावती की काओई प्रिंट करें।

क्या होगा यदि मैं यूनाइटिड स्टेट्स के लिए प्रस्थान करने से पहले अपनी यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान न कर सकूं?

यदि आप यूनाइटिड स्टेट्स के लिए प्रस्थान करने से पहले अपनी यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान न कर पाएं तो आपको यूनाइटिड स्टेट्स में प्रवेश करने पर अवश्य ही इस फ़ीस को भरना होगा। यदि यूएससीआईएस के पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जो बताता हो कि आपने अपनी यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान कर दिया है, तो यूएससीआईएस की ओर से आपको एक निर्देशों वाला नोटिस भेजा जाएगा कि फ़ीस कैसे भरी जाए।

कृपा नोट करें: यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान किए बिना आप को ग्रीन कार्ड प्राप्त नहीं होगा।

मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मुझे फ़ीस का भुगतान करना है अथवा मुझे इस में छूट है?

यदि आप को इमिग्रेंट वीज़ा डीओएस द्वारा जारी किया गया है और आप यूनाइटिड स्टेट्स में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप को यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान करना ही होगा, अन्यथा कि आपको छूट हो। डीओएस की ओर से आपको सूचित किया जाएगा कि आप को फ़ीस से छूट है अथवा नहीं।

सामान्यता निम्न इम्ग्रेंट्स को यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस से छूट है:

- यूनाइटिड स्टेट्स में अनाथ अथवा हेग गोद लेना प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले बच्चे;
- इराकी एवं अफ़गान के विशेष इमिग्रेंट्स;
- वापसी कर रहे नागरिक एसबी-1) एवं
- व्यक्ति जिन्हें के वीज़ा जारी किए गए हैं।

क्या होगा यदि मैं फ़ीस भरने में असफ़ल रहता हूं?

यूएससीआईएस **आपको यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस का भुगतान किए बिना आपका ग्रीन कार्ड जारी नहीं** करेगी। एक बार जब फ़ीस का भुगतान हो जाएगा तो यूएससीआईएस आपके भुगतान पर कार्यवाही करेगी और आपको ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा।

यूनाटिड स्टेट्स में पहुंचने के बाद आप के पासपोर्ट में एक मुहर लगेगी जो एक वैध स्थाई नागरिक के तौर पर आपके प्रवेश की पुष्टि करेगी। यह मुहर 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। एक बार इस मुहर की समय अवधि समाप्त होने पर एक वैध स्थाई नागरिक का सबूत देने कलिए आप को ग्रीन कार्ड की आवश्यकता होगी।

अधिक जानकारी के लिए

यूएससीआईएस इमिग्रेंट फ़ीस प अधिक जानकारी के लिए कृपा करके देखें

www.uscis.gov/ImmigrantFee एवं **www.uscis.gov/uscis-elis.**

प्रमुख जानकारी

इस गाईड में संदर्भित प्रमुख फ़ार्म	फ़ार्म #
स्थाई नागरिक कार्ड	**I-551**

इस गाईड में संदर्भित प्रमुख यूएससीआईएस वेब साईट्स	वेब साईट लिंक
यूएससीआईएस इलेक्ट्रानिक इमिग्रेशन प्रणाली	**www.uscis.gov/uscis-elis**
इंफ़ोपास	**https://infopass.uscis.gov**

इस गाईड में संदर्भित प्रमुख यूएससीआईएस फ़ोन नंबर	फ़ोन नंबर
यूएससीआईएस नेशनल कस्टमर सर्विस सेंटर	**(800) 375-5283**
श्रवण क्षीणता टीडीडी कस्टमर सर्विस	**(800) 767-1833**

अन्य यू.एस. सरकार सेवाएं - क्लिक अथवा फ़ोन	
सामान्य सूचना	**www.usa.gov**
नए इमिग्रेंट्स	**www.welcometoUSA.gov**
यू.एस. इमिग्रेशन एंड कस्टमस एन्फ़ोर्समेंट	**www.ice.gov**
यू.एस. कस्टमस एंड बार्डर प्रोटेक्श्न	**www.cbp.gov**
यू.एस. डिपार्टमेंट आफ़ स्टेट	**www.state.gov**
यू.एस. पोस्टल सर्विस	**www.usps.gov**

आप **www.uscis.gov** पर भी जा सकते हैं। शुरुआत के लिए यह एक उत्तम स्थान है!

यदि आपके घर अथवा कार्य स्थान पर इंटरनेट सुविधा नहीं है तो आप स्थानीय लाइब्रेरी में जा सकते हैं।

यदि जो आप को चाहिए वो नहीं मलिता तो कृपा करके हमें **https://egov.uscis.gov/cris/contactus**.

अस्वीकरण: यह गाईड आप को मूलभूत जानकारी उपलब्ध करवाती है ताकि आप को हमारे नियमों एवं कार्यविधियों से अवगत होने में सहायता मिले। अधिक जानकारी, अथवा नियम या विनियम के लिए हमारी वेब साईट पर जाएं। इमिग्रेशन नियम जटिल हो सकते हैं, और हरेक कार्य विधि के प्रत्येक पक्ष का विवरण देना असंभव है। आप बोर्ड आफ़ इमिग्रेशन द्वारा अधिकृत लाइसेंसशुदा अटार्नी अथवा गैर लाभप्राप्त एजंसी के प्रतिनिधित्व के इच्छुक हो सकते हैं।